भीम

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(8)(01525)सामा./सान्याअवि/25 जयपुर, दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षरित

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः– वर्ष 2025 राज्य स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कारों के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष–2025 का वितरण किया जायेगा। अतः संलग्न विज्ञप्ति को राजस्थान पत्रिका एव दैनिक भास्कर के राजस्थान से प्रकाशित सभी संस्करणों में डी.आई.पी.आर. द्वारा निर्धारित साईज एवं दरों पर प्रकाशित करवाकर बिल दो प्रतियों में भिजवाने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.1(8)(01525)सामा./सान्याअवि/25 जयपुर, दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप निदेशक (आई.टी.), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
2. सहायक निदेशक (प्रचार) मुख्यालय को विज्ञप्ति जारी करवाने हेतु।
3. कार्यालय पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.02.07 14:22:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पेलेस के पास, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(8)(01525)सामा./सान्याअवि/25 जयपुर, दिनांकः–यथा ई–हस्ताक्षरित

विज्ञप्ति

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती (दिनांक 14 अप्रैल, 2025) के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति राज्य स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने हैं। अतः पुरस्कारों के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव मय जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अभिशंषा आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र.सं.	पुरस्कार	पात्रता की शर्तें/बिन्दु	राशि
1	राज्य स्तरीय अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार–2025	1. व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2. जिला कलक्टर द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। 3. संस्था/व्यक्ति अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रहा हो। 4. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित 5. योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में उल्लेखनीय भूमिका/योगदान रहा हो। 6. आवेदनकर्ता की आयु 40 वर्ष से अधिक हो तथा संस्था कम से कम 5 वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हो। 7. संस्था/व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये गये हों।	राशि रूपये 1.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र
2	राज्य स्तरीय अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार–2025	1. राजस्थान की मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2. जिला कलक्टर द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। 3. संस्था/महिला अनुसूचित जातियों/जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत रही हो। 4. महिला उत्थान के क्षेत्रो में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओ का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचाने में उल्लेखनीय योगदान रहा हो। 5. आवेदनकर्ता महिला की आयु 40 वर्ष से अधिक हो तथा संस्था कम से कम 4 वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हो। 6. संस्था/महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिये कार्य किये गये हों।	राशि रूपये 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र
3	राज्य स्तरीय अम्बेडकर न्याय पुरस्कार–2025	1. अधिवक्ता राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. जिला कलक्टर तथा जिला सेशन न्यायाधीश द्वारा उत्तम चरित्र एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण–पत्र। (प्रत्येक का पृथक्–पृथक् प्रमाण पत्र) 3. अधिवक्ता द्वारा कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क/न्यून शुल्क पर पैरवी कर ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुए प्रभाव। 4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिये प्रचलित अधिनियमों/नियमों में कोई संशोधन करवाया हो/नये अधिनियम/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई हो।	राशि रूपये 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र

नोटः–आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर के पते पर दिनांक 15.03.2025 तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः जमा कराए जा सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जाऐंगे। गत वर्षो में पुरस्कृत संस्था/व्यक्ति आवेदन नहीं करें। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www. sje.rajasthan.gov.in एवं संबंधित जिले के जिलाधिकारी सान्याअवि के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु दूरभाष नं. [illegible] पर सम्पर्क किया जा सकता है।

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation: Director
Date: 2025.02.07 14:2[illegible]:53 IST
Reason: Approved

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 13452829

139

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 18 ( )अम्बे/सान्याअवि/07/ 6269 जयपुर, दिनांक 7/2/08

अम्बेडकर पुरस्कार योजना के दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना : राज्य सरकार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान कर इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्प है। भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रीय सोच के अन्तर्गत पिछड़े लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित किया। राज्य सरकार ने डा. अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा लेकर उनके नाम से उनकी जयन्ती दिनांक 14.4.2005 को राज्य में सामाजिक सेवा, शिक्षा, महिला उत्थान एवं न्याय के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रति वर्ष अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था।

2. पुरस्कार : निम्नानुसार पुरस्कार दिये जायेगें :–

(1) **अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार** : यह पुरस्कार निम्नानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को दिया जायेगा :–

अ. व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी हो/ संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो।

ब. जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण पत्र।

स. संस्था/ व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/ जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रही हो।

द. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुचाने में उल्लेखनीय भूमिका/ योगदान रहा हो।

य. संस्था/ व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हो।

उक्तानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों/ संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों में से एक का चयन गठित समिति द्वारा किया जायेगा तथा चयनित व्यक्ति/ संस्था को रूपये एक लाख एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

(2) **अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार** : यह पुरस्कार निम्नानुसार पात्रता रखने वाली महिला/ महिलाओं की संस्था को दिया जायेगा :–

अ. राजस्थान की मूल निवासी हो/ संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो।

ब. जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण पत्र ।

स. संस्था/ महिला कम से कम 4 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/ जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत रही हो।

द. महिला उत्थान के क्षेत्रो में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुचाने में उल्लेखनीय योगदान रहा हो।

य. संस्था/ महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिये कार्य किया हो।

उक्तानुसार पात्रता रखने वाली संस्थाओं / महिलाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों में से एक का चयन गठित समिति द्वारा किया जायेगा तथा चयनित संस्था/ महिला को रूपये 51 हजार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

(3) अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार : राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 एवं 10+2 की परीक्षाओं मे कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्गो में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी रूपये 51 हजार व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा। इस प्रकार इस वर्ग में प्रतिवर्ष 8 पुरस्कार दिये जावेगें।

(4) अम्बेडकर न्याय पुरस्कार : यह पुरस्कार निम्नानुसार पात्रता रखने वाले अधिवक्ता को दिया जायेगा :-

अ. राजस्थान का मूल निवासी हो।

ब. जिला कलक्टर एवं जिला सेंशन न्यायाधीश द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठता प्रमाण पत्र।

स. अधिवक्ता कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क/ न्यून शुल्क पर पैरवी कर ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुये प्रभाव।

द. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के कल्याण के लिये प्रचलित अधिनियमों/ नियमों में कोई संशोधन करवाया हो/ नये अधिनियम/ नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका।

उक्तानुसार पात्रता रखने वाले अधिवक्ताओं से प्राप्त आवेदन पत्रों में से एक का चयन निर्धारित समिति द्वारा किया जायेगा तथा चयनित अधिवक्ता को रूपये 51 हजार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

3. पुरस्कार चयन की प्रक्रिया : बिन्दु संख्या 2 में वर्णित पुरस्कारों के लिए पात्र व्यक्तियों में से उत्कृष्ठ का चयन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :

(1) अम्बेडकर सामाजिक सेवा एवं अम्बेडकर महिला पुरस्कार के लिए स्वयं व्यक्ति/ संस्था अथवा किसी अन्य प्रस्तावक द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान के एक अग्रणी समाचार पत्र में प्रत्येक वर्ष माह जनवरी में विज्ञापन के माध्यम से फरवरी के अन्त तक संलग्न परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जिला कलक्टर के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायेगें। इन प्राप्त आवेदन पत्रों को निम्न समिति के समक्ष चयन हेतु प्रस्तुत किया जायेगाः

1. माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
2. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
3. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. निदेशक/ आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

उक्त समिति मार्च के प्रथम सप्ताह में बैठक कर उत्कृष्ठ व्यक्ति/ संस्था का चयन करेगी। व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए व्यक्ति विशेष की न्यूनतम आयु 40 वर्ष से कम पर स्वीकार्य नही होगा।

(2) अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को प्रति वर्ष जनवरी में पत्र लिखकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गो में कक्षा 10 एवं 10+2 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के नाम निम्न तालिका में प्राप्त किये जायेगेंः

माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक परीक्षाः वर्ष .... अनुसूचित जाति / जनजाति

नामांक	विद्यार्थी का नाम मय पता	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	प्राप्तांक	प्रतिशत	सामान्य वरीयता सूची में स्थान

(3) अम्बेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार के लिए प्रतिवर्ष माह नवम्बर में एक अग्रणी राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर राजस्थान मुल के अधिवक्ताओं/ प्रस्तावकों से निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ठ 'ब') में प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें। राजस्थान बार काउन्सिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपने स्तर से भी इस पुरस्कार हेतु योग्य अधिवक्ताओं के विवरण निदेशालय निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भिजवा सकेगें। फरवरी के अंत तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर मार्च के प्रथम सप्ताह में निम्न समिति द्वारा उत्कृष्ठ अधिवक्ता का चयन किया जायेगा :

1 मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार

2 रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय

3 प्रमुख शासन सचिव, राजस्व,

4 विधि सचिव, राजस्थान सरकार

5 अध्यक्ष, बार काउन्सिल राजस्थान उच्च न्यायालय

6 प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

7 आयुक्त/ निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

4 पुरस्कार सीमा : एक व्यक्ति / संस्था को अपने जीवन काल में एक ही बार अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा परन्तु यह शर्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 मे सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उन विद्यार्थियों पर लागू नही होगी जो कक्षा 10+2 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते है। जिस व्यक्ति या संस्था को 15 अगस्त / 26 जनवरी पर राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सम्मानित किया जा चुका है उसे अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित नही किया जायेगा।

5 पुरस्कार दिये जाने की तिथि व स्थान : ये पुरस्कार अम्बेडकर जयन्ती पर दिये जायेगें तथा स्थान का निर्धारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जयन्ती मनाये जाने से पूर्व किया जाकर समाचार पत्रों के माध्यम से सम्बधित व्यक्तियों/ संस्थाओं एवं आमजन को सूचित किया जायेगा।

6 इन पुरस्कारों में यदि किसी प्रतिष्ठित संस्था / व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण में संलग्न हो और आवेदन नही किया हो तो राज्य सरकार स्वयं के स्तर से भी उन्हें अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने की पात्रताओं को दृष्टिगत रखते हुऐं पुरुष्कृत करने का निर्णय ले सकेगी।

7 इन पुरस्कारों के दिये जाने की प्रारम्भ से अन्त तक की प्रक्रिया में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

प्रमुख शासन सचिव

143

क्रमांक : एफ 18 ( )अम्बे/सान्याअवि/07/ 6270-400 जयपुर, दिनांक : 7.2.08

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ...
8. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. जिला कलक्टर ....
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
11. अध्यक्ष, बार काउन्सिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/ जोधपुर।
12. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. उपनिदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....
14. आदेश पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव

अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

(दिनांक 1.1.200..... तक पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हो आवेदन करें।)

फोटो

1. स्वयंसेवी संस्था/व्यक्ति का नाम..
2. पिता का नाम..
3. जन्मतिथि ....
4. स्वयंसेवी संस्था/व्यक्ति का पता
   स्थायी पता...
   पत्र व्यवहार का पता ....फोन न. ....
5. यदि संस्था है तो पंजीकरण संख्या .... दिनांक .... (पुष्टि हेतु सत्यापित प्रति संलग्न करें)
6. अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान के लिए संस्था/व्यक्ति द्वारा पिछले 5 वर्षो किये गये कार्यो का विवरण मय दस्तावेज ....
7. जिला कलक्टर द्वारा चरित्र एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रमाण पत्र ....
8. भारत सरकार/राज्य सरकार/ जिला कलक्टर द्वारा दिए गए सम्मान का विवरण (यदि कोई हो)
9. संस्था द्वारा विदेशी/ स्वदेशी अनुदान प्राप्त किये जाने का पिछले 5 वर्षो का वर्षवार विवरण............
10. संस्था के स्वयं के भवन का विवरण ....
11. संस्था/व्यक्ति के बैंक खातों का विवरण ....

आवेदक/संस्था के मुखिया का
नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय जिला कलक्टर ....

उपरोक्त ....संस्था/ व्यक्ति द्वारा दिये गये विवरण का सत्यापन करवा लिया गया है। संस्था/ व्यक्ति को अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार वर्ष .... दिये जाने की अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील
जिला कलक्टर

नोट : आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

146

145

अम्बेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

1 अधिवक्ता का नाम ....

2 पिता का नाम ....

3 आवेदक का पता

पत्र व्यवहार का पता ....

स्थायी पता ....

4 जन्मतिथि .... फोन न. ....

5 शैक्षणिक योग्यता....................

6 बार काउंसिल का पंजीयन क्रमांक............... दिनांक ....

7 दिनांक .... से पिछले 10 वर्षो के वकालात के दौरान निर्णित मुकदमों का विवरण

फोटो

क्र. स.	न्यायालय का नाम	पैरवी किये गये प्रकरणों की संख्या		लाभान्वितों की संख्या	
		एस.सी	एस.टी	एस.सी	एस.टी
1	अधीनस्थ न्यायालय				
2	उच्च न्यायालय				
3	उच्चतम न्यायालय				

नोटः उक्त तालिका में अंकित निर्णीत प्रकरणों की पठनीय छाया प्रतियाँ।

8. जिला कलक्टर एवं जिला सेंशन न्यायाधीश द्वारा चरित्र एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र का प्रमाण पत्र।

9. अधिवक्ता द्वारा समाज सेवा हेतु किये गये अन्य कार्यो का विववण मय दस्तावेज ....

10. आरक्षित वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए किसी कानून विशेष में संशोधन करने अथवा नया कानून बनवाने में कोई योगदान दिया हो तो उसका विवरण ....

11. अन्य कोई विवरण ....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

जिला कलक्टर/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यलय...................... की टिप्पणी

श्री/ श्रीमती .... को अम्बेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार वर्ष .... के लिए अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील

जिला कलक्टर/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश

नोट : आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।

C:\EO\chopara\ambedker\vajita.doc

अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

फोटो

1. महिला/ संस्था का नाम ....
2. पिता/ पति का नाम ....
3. जन्मतिथि ....
4. पता :

   पत्र व्यवहार का पता : ....

   स्थायी पता : .... फोन. न. ....
5. अगर संस्था है तो संस्था का पंजीयन संख्या .... दिनांक ....
6. महिला/संस्था द्वारा पिछले 5 वर्षो में बाबा साहेब के सिद्धान्तों के अनुरूप किये गये उल्लेखनीय कार्यो का दस्तावेज सहित विवरण ....
7. महिला कल्याण के लिए किये गये कार्यो का विवरण ....
8. पूर्व में जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है उनका विवरण ....

आवेदक/संस्था के मुखिया का
नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय जिला कलक्टर ....

उपरोक्त संस्था/महिला.............................. ग्राम/कस्बा.................. तहसील.................. जिला .... के सम्बंध में इनके द्वारा दिये गए विवरण का सत्यापन करवा लिया है। इनको अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार वर्ष .... प्रदान किये जाने की सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील
जिला कलक्टर

नोट : आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों संलग्न करें।